न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

प्रकाश चन्द्र शर्मा I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
04/2022	2022/04	11.13.2022	25.03.2022

1. श्री मुकेश पिता कारू मीणा निवासी सेमरड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– रेस्पोडेन्टस

अपील नाराजगी निर्णय दिनांक 25.02.2022 बमामले प्रकरण 01/22 न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी

उपस्थिति :–

1. श्री गोपाललाल तम्बोली अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री सरकार पैरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांक :– 25.03.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध नाराजगी निर्णय दिनांक 25.02.2022 बमामले प्रकरण 01/22 न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सेमरथली में अपीलार्थी की भूमियों से लगी हुई आराजी संख्या 987 रकबा 0.17 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर किस्म बिलानाम बंजड़ तथा आराजी संख्या 987/2866 रकबा 0.03 किस्म रास्ता भूमि पर अपीलार्थी का सदभाविक कब्जा काश्त होने के चलते पटवार हल्का सेमरथली की रिपोर्ट पर तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही संचालित करते हुए निर्णय दिनांक 25.02.2022 के द्वारा अतिक्रमित भूमियों के लगान राशि 0.82 (RF1) रूपए के 50 गुणा शुल्क राशि 50/– रूपये अध्यारोपित करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध 30 दिवस का सिविल कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त क्रम में अपील अपीलार्थी निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

1. यह कि अपीलार्थी एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग का गरीब काश्तकार है जिसके द्वारा उक्त राजकीय भूमियों पर सद्भाविक काश्त की जा रही थी
2. यह कि अपीलार्थी के पडौसी काश्तकार स्वर्ण जाति के सदस्य होकर द्ववैश्ता पूर्वक राजनैतिक दबाव बनवा कर पटवार हल्का से अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही संचालित कराई गई है।
3. यह कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में अपीलार्थी को सूनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

अतः अपील अपीलार्थी मेरिट आधार पर स्वीकृत फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 25.02.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थीगण कि ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए बहस उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दौहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि रकबा राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज है का उसे संज्ञान नहीं था तथा वर्तमान में उसके द्वारा मौके से कब्जा छोड़ दिया गया है और भविष्य में उक्त भूमि पर वह कब्जा नहीं करेगा तथा उक्त रास्ता की भूमि को कभी बाधित नहीं करूंगा इसलिए मेरे विरूद्ध शिथिलता का रूख अपनाते हुए सिविल करावास की सजा को माफ फरमावें।

इसी क्रम में उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है जिसके द्वारा बार बार राजकीय बिलानाम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर बाधित किया जाता रहा है जिससे आस पास के समस्त खातेदार प्रभावित होते है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही अन्तर्गत सूनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि किस्म रास्ता होने से अपीलार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई धारा 91 की कार्यवाही विधिक प्रतीत होती है फिर भी चुंकी अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि का सद्भाविक कृषि कार्य में ही उपयोग में लिया जाना तथा वर्तमान में मौके से कब्जा/अतिक्रमण हटा लिया जाना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अपीलार्थी के गरीब अनुसुचित जनजाति संवर्ग का सदस्य होने के कारण तथा अपीलार्थी की क्षमा याचना अनुसार शिथिलन का रूख अपनाते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से पारीत आदेश दिनांक 25.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को दिया गया सिविल कारावास का दण्ड़ समाप्त किया जाता है अवशेष आदेश यथावत् बहाल रखा जाता है साथ ही अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में विवादित भूमि पर न स्वयं अतिक्रमण करें अथवा करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ